HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15860/2025

Nitin Choudhary S/o Suresh Kumar Chaudhary, Aged About 43 Years, R/o Ward No. 12, Opposite Adarsh School, Sindhi Mohalla, Bhawani Mandi, Police Station Bhawani Mandi, District Jhalawar (Raj.)
(At Present In Sub Jail, Bhawani Mandi, Jhalawar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 2543/2026

Bane Singh S/o Kishan Singh, Aged About 35 Years, R/o Hanuman Mandir Ke Samne Ward No 11 Ramthi Bhawani Mandi Police Station Bhawani Mandi District Jhalawar (Raj).
(At Present Confined In Sub District Jail, Bhawani Mandi District Jhalawar (Raj)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Shyam Bihari Gautam, Adv. Mr. Rohit Khandelwal, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

18/03/2026

प्रार्थी–अभियुक्त नितिन की ओर से अपनी नियमित जमानत एवं अभियुक्त बने सिंह की ओर से जमानत हेतु द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना–भवानी मण्डी,

जिला–झालावाड़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–167/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 318(2), 338, 336(3), 61(2) बी.एन.एस. में पेश किया गया है।

चूंकि उक्त दोनों जमानत आवेदन एक ही अपराध से संबंधित होकर एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में प्रस्तुत हुए हैं, अतः उक्त दोनों जमानत आवेदनों का निस्तारण एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थी–अभियुक्तगण ने तर्क दिया कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें इस प्रकरण में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है, मुख्य अभियुक्त लक्ष्मण सिंह द्वारा कूटरचित पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर अभियुक्त बने सिंह को यह संपत्ति विक्रय की गई है, बने सिंह को कूटरचना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनका यह भी निवेदन है कि अभियुक्त बने सिंह इस संपत्ति पर अब कोई दावा नहीं करता है। अभियुक्त नितिन चौधरी के संबंध में यह तर्क रहा है कि वह कूटरचित पावर ऑफ अटॉर्नी में वह मात्र गवाह है, मुख्य अभियुक्त लक्ष्मण सिंह है, जिसने अपने पक्ष में मुख्त्यारनामा तैयार किया है, उससे प्रार्थी–अभियुक्तगण का मामला भिन्न है, दोनों अभियुक्तगण करीब चार माह से अधिक समय से अभिरक्षा में है, अनुसंधान होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है, शेष विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में यह आरोप है कि नाथूसिंह, बापूलाल व शिवसिंह, जिनकी वर्षों पूर्व मृत्यु हो चुकी थी, उनके स्थान पर मुख्य अभियुक्त लक्ष्मण सिंह ने किन्हीं तीन अन्य व्यक्तियों को खड़ा कर कूटरचित पावर ऑफ अटॉर्नी अपने पक्ष में तैयार की तथा उसके आधार पर अभियुक्त बने सिंह व दशरथ सिंह को उपरोक्त तीनों मृत व्यक्तियों की संपत्ति अंतरण करने बाबत् दस्तावेज/विक्रय पत्र निष्पादित करवाया। मुख्त्यारनामे में नरेन्द्र सैन व नितिन

चौधरी द्वारा गवाही देने का तथ्य प्रकट हुआ है। स्पष्ट है कि मुख्य अभियुक्त लक्ष्मण सिंह से प्रार्थी–अभियुक्तगण का मामला भिन्न है, अभियुक्त बने सिंह ने वादग्रस्त संपत्ति पर दावा छोड़ने का आश्वासन दिया है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **1. नितिन चौधरी पुत्र सुरेश कुमार चौधरी** की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी–अभियुक्त **2. बने सिंह पुत्र किशन सिंह** की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो हस्तगत प्रकरण में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /01-02